



2026:AHC:170047

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या - 27379 वर्ष 2026**

मनीष राजभर

.....आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अभिषेक कुमार जैसवाल, संदीप कुमार पटेल

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए., राघवेन्द्र प्रताप रंजन

**न्यायालय संख्या - 65**

**माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन**

1. शिकायतकर्ता की ओर से दायर संक्षिप्त प्रति शपथपत्र अभिलेख पर लिया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री अभिषेक कुमार जायसवाल, शिकायतकर्ता के अधिवक्ता श्री राघवेन्द्र प्रताप राजन और राज्य की ओर से एजीए-1 श्री विजय कुमार के तर्क सुने गये।
3. यह ज़मानत प्रार्थना-पत्र आपराधिक वाद संख्या 132/2026 (पुलिस थाना फूलपुर, ज़िला वाराणसी) में विचारण के दौरान आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने के लिए दायर किया गया है। यह मामला बीएनएस की धाराओं 190, 191(2), 103(2), 324(5) और 3(5) के तहत दर्ज है।
4. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि इस मामले में प्राथमिकी 27.4.2026 को आवेदक और उनके अज्ञात साथियों सहित आठ आरोपियों के खिलाफ दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के अनुसार, 26.4.2026 की रात लगभग 10:00 बजे जब शिकायतकर्ता का भतीजा अपनी चार-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पहिया गाड़ी से आ रहा था, तो रास्ते में आवेदक और अन्य आरोपियों ने उसे रोका, ईंटों से हमला किया और उसकी हत्या कर दी; लेकिन आवेदक पर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह झूठे हैं। वे आगे कहते हैं कि यह माना गया है कि इस मामले का शिकायतकर्ता घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं था।

5. उन्होंने आगे तर्क दिया कि लगभग एक महीने बाद, यानी 25.5.2026 को जांच अधिकारी ने पांच प्रत्यक्षदर्शियों (जिनमें अंकुर और चंद्रेश शामिल हैं) के बयान दर्ज किए। उन्होंने कहा कि उनके सामने हमला हुआ था और आवेदक तथा सह-आरोपी आशीष राजभर ने मृतक पर ईंटों से हमला किया था; लेकिन चूंकि उनके बयान लगभग एक महीने बाद दर्ज किए गए थे, इसलिए वे प्रत्यक्षदर्शी नहीं लगते। वे आगे कहते हैं कि लगभग पांच साक्षियों के अलावा, घटना का कोई अन्य प्रत्यक्षदर्शी नहीं है।

6. वे आगे कहते हैं कि ऐसा लगता है कि 26.4.2026 की रात 10:00 बजे हुई असली घटना को किसी ने नहीं देखा, लेकिन पुरानी दुश्मनी के कारण आवेदक को दूसरों के साथ इस मामले में फंसाया गया है।

7. उन्होंने आगे कहा कि हालांकि, आवेदक का कोई पुराना आपराधिक अभिलेख नहीं था, लेकिन जब उसे गिरफ्तार किया गया तो पुलिस ने उसे बीएनएस की धारा 109(1) से जुड़े एक मामले में आरोपी बनाया, जो पुलिस मुठभेड़ का मामला है, और उसके बाद इस मामले के आधार पर उसे उ.प्र. गिरोहबंद अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी आरोपी बनाया गया है।

9. उन्होंने आगे कहा कि आवेदक का कोई पुराना आपराधिक अभिलेख नहीं है और इस मामले में वह 5.5.2026 से जेल में है, यानी तीन महीने से ज़्यादा समय से।

10. इसके विपरीत, विद्वान एजीए और शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने ज़मानत प्रार्थना-पत्र का विरोध किया और कहा कि प्राथमिकी में आवेदक का नाम था और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों से यह साफ है कि आवेदक और सह-आरोपी आशीष राजभर मुख्य आरोपी थे, जिन्होंने मृतक पर ईंटों से हमला किया था।

11. उन्होंने आगे कहा कि पाँच प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं और पाँच साक्षियों में से तीन साक्षियों - सुमीत, प्रिंस और चंद्रेश - ने यह भी बताया कि मृतक ने उन्हें बताया था कि आवेदक और अन्य लोगों ने उस पर हमला किया था, लेकिन वे इस बात से इनकार नहीं कर सके कि इन



साक्षियों के बयान लगभग एक महीने बाद दर्ज किए गए थे और इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। वे इस बात से भी इनकार नहीं कर सके कि ऊपर बताए गए प्रत्यक्षदर्शियों के अलावा कोई अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है।

12. मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना है और मामले के अभिलेख को देखा है।

13. हालाँकि, प्राथमिकी में अन्य लोगों के साथ आवेदक का नाम भी शामिल है और प्राथमिकी के अनुसार, आवेदक ने सात अन्य लोगों और कुछ अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता के भतीजे पर ईंटों से हमला किया, जिससे उसे चोटें आईं और उसकी मौत हो गई, लेकिन यह माना गया है कि मामले का शिकायतकर्ता चश्मदीद गवाह नहीं था।

14. अभिलेख से यह भी पता चलता है कि 25.5.2025 को, यानी लगभग एक महीने बाद, जाँच अधिकारी ने अंकुर और चंद्रेश सहित पाँच साक्षियों के बयान दर्ज किए और उन्होंने खुद को चश्मदीद गवाह बताया और कहा कि आवेदक ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर मृतक पर हमला किया और उन्होंने यह भी कहा कि आवेदक और सह-आरोपी आशीष राजभर ने मृतक के सिर पर ईंटों से हमला किया। इसके अलावा, तीन साक्षियों - सुनीत, प्रिंस और चंद्रेश - ने भी यह बात बताई कि मरने से पहले मृतक ने बताया था कि आवेदक ने दूसरों के साथ मिलकर उस पर हमला किया था। लेकिन चूंकि उनके बयान एक महीने बाद दर्ज किए गए थे, इसलिए पहली नज़र में वे चश्मदीद गवाह नहीं लगते, खासकर इसलिए क्योंकि अभियोजन पक्ष इन साक्षियों के बयान दर्ज करने में हुई एक महीने की देरी के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सका।

15. साथ ही, ऊपर बताए गए पाँच चश्मदीद साक्षियों में से दो गवाह - अंकुर और महेश - शव जांच के गवाह भी थे, और यह बात फिर से इस बात पर गंभीर संदेह पैदा करती है कि क्या उन्होंने असल घटना देखी थी।

16. इसके अलावा, आवेदक का कोई पुराना आपराधिक अभिलेख नहीं है और इस मामले में वह 5.5.2026 से, यानी तीन महीने से ज़्यादा समय से जेल में है। हालाँकि, इससे पता चलता है कि जब आवेदक को गिरफ़्तार किया गया था, तो उसे बीएनएस की धारा 109(1) के तहत एक मामले में आरोपी बनाया गया था, जो पुलिस मुठभेड़ का मामला है, और इसी मामले के आधार पर आवेदक को उ.प्र. गिरोहबंद अधिनियम के प्रावधानों से जुड़े एक मामले में भी आरोपी बनाया गया है।

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



17. इसलिए, ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मेरी राय में, आवेदक ज़मानत पर रिहा होने का हकदार है।

18. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह ज़मानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार की जाती है।

19. आवेदक-**मनीष राजभर** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का एक स्वीय बंधपत्र और दो ज़मानतदार पेश करने पर उक्त मामले में ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:-

(i) आवेदक तय तारीखों पर विचारण न्यायालय के सामने पेश होगा, जब तक कि उसे व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।

20. ऊपर दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष के पास आवेदक की ज़मानत निरस्त करने के लिए इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र देने की स्वतंत्रता होगी।

21. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ केवल ज़मानत प्रार्थना-पत्र के निस्तारण के लिए पक्षों द्वारा लाए गए तथ्यों तक ही सीमित हैं और इन टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

13 अगस्त, 2026

एसकेएम